

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4158] No. 4158] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4644(अ).—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2कग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने 27 मार्च, 2015 को अधिसूचना जारी की थी, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 27 मार्च, 2015 में प्रकाशित किया गया। दिनांक 27.03.2015 की उपर्युक्त अधिसूचना के उपबंधों की स्पष्ट व्याख्या करने हेतु एतद्वारा निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

कि दिनांक 27.03.2015 की अधिसूचना किसी भारतीय पुनर्बीमाकर्त्ता को विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड (यक) में यथा परिभाषित किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) सहित किसी विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित अपने कार्यालय से प्रत्यक्ष बीमा कारबार (किसी भी श्रेणी) की हामीदारी करने के लिए बीमा कारबार की अनुमित देता है।

[फा. सं. 14017/32/2019-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में 27 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 870(अ), के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

6664 GI/2019 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 4644(E).—In exercise of the powers conferred by Section 2CA of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government issued Notification dated the 27th March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary Part (ii), Section 3, sub-section (ii), dated the 27th March, 2015. To explicitly explain the provisions of the aforesaid Notification dated 27.03.2015, it is hereby clarified as under:

that the Notification dated 27.03.2015 permits an Indian re-insurer, carrying on the business of insurance in any Special Economic Zone, as defined in clause (za) of Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), to underwrite direct insurance business (any class) from their office located in any Special Economic Zone, including International Financial Services Centre (IFSC).

[F. No. 14017/32/2019-Ins.II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principle notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 870(E), dated the 27th March, 2015.